न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 80

दायरा तिथि : 20.02.2024

आदेश तिथि : 05-03-2024

प्रार्थी :–

श्री संजय कुमार पुत्र सदारामजी जाति दमामी, निवासी पारलावा जाव, बाली जिला पाली, राज.

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांकः 05-03-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 538 / 1 रकबा 0.3200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 605 / 424, 427, 544, 545, 543 व 539 रकबा क्रमशः 0.3100, 1.3300, 0.1000, 0.4000, 0.6800 व 0.6600 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक / राजस्व / 2024 / 2082 दिनांक 23.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा के खसरा नंबर 538 / 1 रकबा 0.3200 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खातेदार उपरोक्त खसरा नंबर में मौके पर चल रहे रास्ते से आवागमन करता है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दुरी का ही है।
3. यह है कि ग्राम जीवदा में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	605 / 424	0.3100 हैक्टर	बारानी सोयम	80X09= 720 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	427	1.3300 हैक्टर	गै.मु. भाखर	40 X09=360 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
3	544	0.1000 हैक्टर	बारानी सोयम	28 X09= 252 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
4	545	0.4000 हैक्टर	गै.मु. भाखर	52 X09=468 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
5	543	0.6800 हैक्टर	बारानी सोयम	60 X09=540 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
6	539	0.6600 हैक्टर	बारानी सोयम	15 X09=135 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

3. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) की डी.एल.सी. दर 87,815 रू / – रूपये प्रति हैक्टर है।

4 प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण / वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली)

पेज लगातार................02

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/
अनवान संजय कुमार बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) तहसील बाली के खसरा नंबर 538/1 रकबा 0.3200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2082 दिनांक 23.02.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा के खसरा नंबर 538/1 रकबा 0.3200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम जीवदा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 605/424, 427, 544, 545, 543 व 539 रकबा क्रमशः 0.3100, 1.3300, 0.1000, 0.4000, 0.6800 व 0.6600 हैक्टर में से **2475 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राषि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 102344/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
605/424	0.3100 हैक्टर	80X09=720 वर्गमीटर	9	6480X2=12960	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
427	1.3300 हैक्टर	40X09=360 वर्गमीटर	9	3240X2=6480	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
544	0.1000 हैक्टर	28X09=252 वर्गमीटर	9	2268 X2=4536	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
545	0.4000 हैक्टर	52X09=468 वर्गमीटर	9	4212 X2=8424	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
543	0.6800 हैक्टर	60X09=540 वर्गमीटर	9	4860 X2=9720	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
539	0.6600 हैक्टर	15X09=135 वर्गमीटर	9	1215 X2=2430	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 44550/– (अक्षरे चवालिस हजार पांच सौ पचास रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला पाली) राज
(भागीरथ राम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार................03

Scanned by CamScanner

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/80

अनवान संजय कुमार बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक : 05-03-2024

क्रमॉक/कोर्ट/2024/306-310

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः—

1.तहसीलदार, बाली
2.निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3.पटवारी हल्का, सेणा
4.तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5.आवेदक श्री संजय कुमार पुत्र सदारामजी जाति दमामी, निवासी पारलावा जाव, बाली जिला पाली, राज. को सूचनार्थ।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

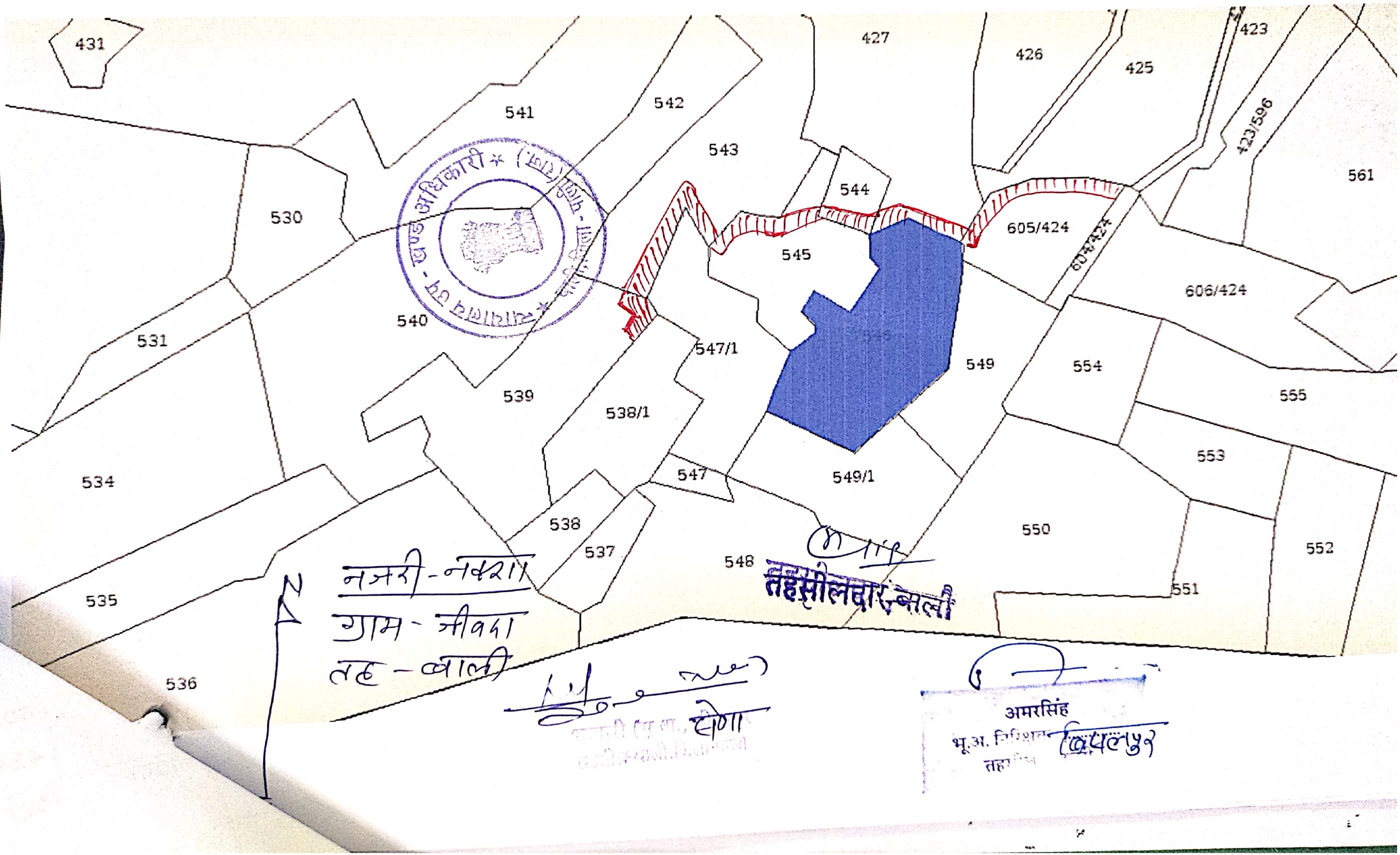

Scanned by CamScanner